ई-मेल भी

सं0-304 जे0एल0/22-3-2025-ई-1787679

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
गृह विभाग,
जम्मू कश्मीर शासन,
जम्मू/ श्रीनगर ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, श्रीनगर (जम्मू कश्मीर राज्य) में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संजय कुमार राय पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी ग्राम व पोस्ट-गोमाडीह, तहसील-लालगंज, जनपद-आजमगढ़ को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, गृह विभाग, जम्मू कश्मीर शासन, जम्मू/श्रीनगर के पत्र संख्या-Home-Jail/27/2024-10-Home, दिनांक-02-05-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय कारागार, श्रीनगर (जम्मू कश्मीर राज्य) में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संजय कुमार राय पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी ग्राम व पोस्ट-गोमाडीह, तहसील-लालगंज, जनपद-आजमगढ़ उ0प्र0 को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-28162/सामा-1(4)/05/वा0प्र0बं0स्था0 (के0 का0, श्रीनगर)/2024 दिनांक-17-09-2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं बंदी अन्तरण अधिनियम, 1950 की धारा-3 सपठित उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर 129/130 में यथा प्राविधानित व्यवस्था के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार, श्रीनगर (जम्मू कश्मीर राज्य) में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी संजय कुमार राय पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी ग्राम व पोस्ट-गोमाडीह, तहसील-लालगंज, जनपद-आजमगढ़ उ0प्र0 को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में स्थानान्तरित/निरूद्ध किये जाने की एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-28162/सामा-1(4)/05/वा0प्र0बं0स्था0 (के0का0 श्रीनगर)/2024 दिनांक-17-09-2024 के संदर्भ में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़/वाराणसी।
3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।